भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3570

उत्तर देने की तारीख: 15.07.2019

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)

3570. डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) की प्रमुख विशेषताएं और लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं और आरयूएसए के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इसकी शुरुआत से लेकर अब तक इसके लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र और राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों के उन्नयन हेतु योजना में कोई उच्चतर शिक्षा योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन और महाविद्यालयों के संकुल में परिवर्तन द्वारा, नए विश्वविद्यालय बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह राज्य विश्वविद्यालयों के निधियन हेतु समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के

लिए मिशन मोड में संचालित एक व्यापक योजना है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करते हुए मौजूदा राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना कि वे निर्धारित मानकों और मानदंडों का अनुपालन करें और एक अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क के रूप में प्रत्यायन को अपनाना, ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तापरक संस्थाओं तक पहुंच को सुगम बनाकर क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करना; सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना; समानता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनु.जा./अनु.ज.जा./ओबीसी और दिवयांगजनों के समावेशन को प्रोत्साहित करना है। अभिशासन, अकादमिक, संबद्धता और प्रत्यायन सुधारों जैसे परिवर्तनकारी सुधार राज्यों में योजना के कार्यान्वयन की पूर्व-अपेक्षाएं हैं। रूसा के अंतर्गत सभी प्रकार का निधियन मानक आधारित है और भावी अनुदान प्रदर्शन और परिणाम पर निर्भर हैं।

अभी तक, लक्षद्वीप के अलावा सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र रूसा में भाग ले रहे हैं। इस योजना का ब्यौरा rusa.nic.in पर उपलब्ध है।

रूसा योजना, उच्चतर शिक्षा में पहुंच और समानता को बेहतर बनाने में अत्यंत सहायक रही है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर शिक्षा में समग्र सकल नामांकन अनुपात 2012-13 में 21.5 से 2017-18 में अर्थात् रूसा की शुरूआत के समय से बढ़कर 25.8 हो गया। छात्राओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के नामांकन में भी काफी सुधार हुआ है। रूसा में राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों को संबद्धता सुधारों के जरिए प्रत्येक विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों के अनुरूप बनाने का अधिदेश दिया गया है। तद्नुसार राज्यों ने अपने मौजूदा विश्वविद्यालयों को दो भागों/तीन भागों में विभाजित कर दिया है।

विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान रूसा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): रूसा के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की समग्र अवसरंचना को बेहतर बनाने के लिए और उनमें शोध तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय और शोध नवाचार तथा गुणवत्ता सुधार संबंधी अवसंरचना अनुदान के संघटक के तहत सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, रूसा 2.0 के अंतर्गत चयनित विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता के संघटक के तहत 10 चयनित राज्य विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ रूपए प्रति विश्वविद्यालय का अनुमोदन दिया गया है।

(ड.): रूसा के अंतर्गत स्वायत्त कॉलेजों के उन्नयन के माध्यम से अथवा एक क्लस्टर में कॉलेजों को रूपांतरित करके विश्वविद्यालयों का सृजन किया जा सकता है। 21 विश्वविद्यालयों के सृजन हेतु केंद्रीय सहायता अनुमोदित की गई है, जिसमें से 11

विश्वविद्यालयों का सृजन स्वायत्त कॉलेजों का उन्नयन करके और 10 विश्वविद्यालयों का सृजन कॉलेजों की क्लस्टरिंग के माध्यम से किया गया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को 55 करोड़ रूपए की राशि अनुमोदित की गई है।

*****

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के संबंध में डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, श्री कुलदीप राय शर्मा और डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा दिनांक 15.07.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 3570 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान रूसा के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का विवरण

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	7.45	86.42	100.10	14.10
2	अरुणाचल प्रदेश	6.75	25.58	25.20	2.25
3	असम	54.78	122.17	161.18	0.00
4	बिहार	22.72	11.10	1.50	33.90
5	छत्तीसगढ़	16.77	39.72	30.30	31.65
6	गोवा	0.00	13.80	12.90	1.20
7	गुजरात	40.12	27.55	40.26	1.80
8	हरियाणा	3.00	17.74	70.72	15.71
9	हिमाचल प्रदेश	50.40	40.88	29.55	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	92.92	73.33	59.25	21.92
11	झारखंड	58.81	28.50	47.40	16.88
12	कर्नाटक	41.81	87.24	65.49	54.45
13	केरल	60.29	13.48	82.35	11.40
14	मध्य प्रदेश	57.77	33.39	85.65	0.00
15	महाराष्ट्र	4.55	57.00	45.18	22.60
16	मणिपुर	30.20	35.65	13.05	0.00
17	मेघालय	25.39	8.10	20.10	0.00
18	मिजोरम	11.48	27.06	21.07	0.00
19	नागालैंड	22.73	25.18	5.40	0.00
20	ओडिशा	72.85	77.90	68.55	21.38
21	पंजाब	16.83	33.60	32.20	8.40
22	राजस्थान	62.40	53.70	60.30	2.72
23	सिक्किम	11.57	11.04	22.50	3.83
24	तमिलनाडु	84.81	35.75	44.80	71.97
25	तेलंगाना	10.79	32.49	41.71	0.00
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	8.51	0.00
27	उत्तर प्रदेश	115.78	137.11	0.00	57.13
28	उत्तराखंड	61.02	20.28	33.38	6.30
29	पश्चिम बंगाल	72.23	48.00	124.00	10.20
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7.50	2.50	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	10.00	8.03	11.00	0.00
32	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00

33	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	4.33	0.00
34	दमन और दीव	0.00	0.00	3.94	0.00
35	पुद्दुचेरी	0.00	5.06	7.80	0.00
कुल		**1133.70**	**1239.31**	**1379.66**	**409.79**